भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3104

(दिनांक 11.03.2026 को उत्तर देने के लिए)

भ्रामक विज्ञापनों का समर्थन करने वाली मशहूर हस्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई

3104. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) भ्रामक विज्ञापनों का समर्थन करने के लिए जिन मशहूर हस्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झूठे/भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए कोई विशेष दल या समिति गठित की है या किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): मौजूदा विनियामक ढाँचे के अनुसार, प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाले सभी विज्ञापनों के लिए टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित विज्ञापन संहिता का पालन करना अनिवार्य है। विज्ञापन संहिता के नियम **7(5)** में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है 'कि किसी भी विज्ञापन में ऐसे संदर्भ नहीं होने चाहिए जिनसे जनता यह अनुमान लगा सके कि विज्ञापित उत्पाद अथवा उसके किसी घटक में कोई विशेष, चमत्कारी अथवा अलौकिक गुण या गुणवत्ता है, जिसे प्रमाणित करना कठिन है।' विज्ञापन संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन पाए जाने पर प्राइवेट टेलीविजन चैनलों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। मंत्रालय द्वारा समय-समय पर प्रसारकों को विज्ञापन संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी भी जारी की जाती हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10 के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार व्यवहार तथा झूठे अथवा भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों का विनियमन करना तथा एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा एवं प्रवर्तन सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "भ्रामक विज्ञापनों का निवारण और भ्रामक विज्ञापनों के लिए पृष्ठांकन मार्गदर्शक सिद्धांत, 2022" जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में गैर-भ्रामक एवं वैध विज्ञापन, प्रलोभन देने वाले विज्ञापन, प्रतिरूप विज्ञापनों पर प्रतिबंध, बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापन, विज्ञापनों में अस्वीकरण तथा निर्माता, सेवा प्रदाता, विज्ञापनदाता और विज्ञापन एजेंसी के कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

उक्त दिशा-निर्देशों के खंड 13 में यह भी प्रावधान किया गया है कि विज्ञापनों के पृष्ठांकन के लिए समुचित सावधानी बरती जानी चाहिए अर्थात किसी विज्ञापन में प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, समूह अथवा संगठन की वास्तविक एवं सही वर्तमान राय प्रदर्शित होनी चाहिए तथा यह पहचाने गए सामान, उत्पाद या सेवा के संबंध में पर्याप्त जानकारी अथवा अनुभव पर आधारित होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से भ्रामक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, दिशा-निर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि जहाँ भारतीय पेशेवरों, चाहे वे भारत में निवास करते हों अथवा विदेश में, को किसी पेशे से संबंधित विज्ञापन में पृष्ठांकन करने से उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है, तो ऐसे पेशे के विदेशी पेशेवरों को भी ऐसे विज्ञापनों में पृष्ठांकन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

*****